न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 31/2024
जीसीएमएस सं. 2024/53

अपीलांट्सः–

1. भगवान सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह
2. दुर्ग सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह
3. भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह
4. करण सिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह
5. श्रीमति चंपा कंवर पत्नी स्व. श्री गिरधारी सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण गांव गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

1. लाल सिंह पुत्र स्व. श्री कान सिंह
2. पूंजराज सिंह पुत्र स्व. श्री कान सिंह
3. नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री कान सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण गांव गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

4. तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 1061 दिनांक 08.06.2018, जो न्याय आपके द्वारा शिविर गडा–2018 में तहसीलदार शेरगढ के आदेश कमांक 178 दिनांक 18.05.2018 की पालना में स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री रवि शेखर थानवी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, श्री हिमपाल सिंह (प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 तक की ओर से)

निर्णय **दिनांक 19.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत, तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर–2018 में पारित आदेश क्रमांक 178

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 18.05.2018 की पालना में दर्ज ग्राम गड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1061 पर पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 23.09.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 तक की ओर से श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी एवं हिमपालसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाट्स एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 तक की पूर्वजों की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम गड़ा, तहसील शेरगढ़ में ख.नं. 184 रकबा 03–08 बीघा ख.नं. 205 रकबा 01–04 बीघा ख.नं. 348 रकबा 15 बिस्वा ख.नं. 367 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 368 रकबा 04–09 बीघा, ख.नं. 370 रकबा 4 बिस्वा, 371 रकबा 15–01 बीघा कुल खसरा संख्या 07 की कुल आराजीयत 25–05 बीघा आयी हुई है, उक्त आराजी कान सिंह पुत्र मूल सिंह के नाम दर्ज थी। कान सिंह के फौत होने से पुत्रान् गिरधारी सिंह (अपीलांट के पिता/पति) तथा प्रत्यर्थी लाल सिंह, पूंजराज सिंह व नरपत सिंह के नाम दर्ज हुई। अपीलांट का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ, जिसका वास्तविक तौर लिखित/मौखिक तौर पर कभी भी बंटवारा नहीं हुआ था। इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 3 तक ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत एवं मिलावट कर नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 08.06.2018 के जरिए खातेदारान के मध्य पारस्परिक बंटवारा बताते हुए, नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। अपीलांट्स के पिता गिरधारी सिंह का दिनांक 31.05.2018 को निधन हो चुका था जबकि मौत के 08 दिन बाद दिनांक 08.06.2018 को उक्त नामान्तरकरण अपीलांट्स को सुने बिना ही स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। नामान्तरकरण पारित करने से पहले जांच नहीं की गई है। उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.05.2018 को पारस्परिक सहमति के आधार पर किए गए विभाजन के आधार पर स्वीकृत किया है. जबकि दिनांक 18.05.2018 को गिरधारी सिंहजी असाध्य बीमारी से ग्रसित होने के कारण चलने फिरने सोचने समझने की स्थिति में कतई नहीं थे तथा न ही गिरधारी सिंह जी दिनांक 18.05.2018 को न्याय आपके द्वारा शिविर–गड़ा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा न ही गिरधारी सिंहजी ने पारस्परिक सहमति से आराजी विभाजन की स्वतंत्र सहमति दी। अगर कूटरचित तरीके से हासिल बंटवारा आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है तो वह पूर्णरूप से अविधिक होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है नामान्तरकरण की पुश्त पर बंटवारा की तरमीम का कोई नक्शा अंकित नहीं है तथा विभाजन शेड्युल

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्थान भू राजस्व विभाजन नियम 1957 के अनुरूप नहीं है। विभाजन के शेड्युल के साथ–विभाजन का नक्शा संलग्न नही है तथा न ही आज दिन तक नक्शों में तरमीम की गई है।

ख.नं. 366 की 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अपीलांट्स का ही कब्जा है, जबकि यह भूमि किशन सिंह के वारिशान के नाम नामान्तरकरण में दर्शायी है जिस पर उनका कभी भी कब्जा नहीं रहा है।

उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलांट्स को भूमि खाली करने की धमकी देने पर दिनांक 15.09.2019 को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल ली गई. तथा शिविर–2018 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम गडा के ख.नं. 184, 205, 348, 367, 368, 370, 371 कुल 25–05 बीघा भूमि जो अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 08.06.2018 को स्वीकृत किया गया है, को निरस्त किया जाने का आदेश/ निर्णय न्यायहित में पारित फरमाया जावे। अपील के साथ नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 08.06.2018 ग्राम गडा की सत्यापित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार की प्रति व जमाबंदी, खाता संख्या 299 सम्वत् 2072–2075 ग्राम गडा की प्रतियां पेश की है।

4. अपीलांट ने दिनांक 04.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेशकर इस अपील को धारा 225 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज करने हेतु पेश किया था जिसका प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 23.09.2025 को जबाव पेश कर विरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2025 से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया तथा अपील को धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही माना गया, जिसके विरूद्ध अपीलाट्स द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील रिविजन प्रस्तुत करने का या निर्णय का कोई आदेश पेश नहीं किया है। अतः अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शेखर थानवी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि यह नामान्तरकरण, 2018 के न्याय आपके द्वारा शिविरों में किए गए बंटवारा आदेशों की पालना में स्वीकृत किए गए है। बंटवारा आदेश पर अपीलाट्स के पिता/पति गिरधारी सिंह के फर्जी हस्ताक्षर है। गिरधारी सिंह दिनाक 31.05.2018 को फौत हो चुके थे, जबकि म्युटेशन दिनांक 08.06.2018 को मृत्यु के बाद स्वीकार किया गया है, जो गलत है। अपीलांट्स एवं रेस्पोन्डेन्टस स्वर्गीय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मूलसिंहजी के वारिशान है। दोनों पक्षों के बीच दिनांक 19.09.2019 को आपसी राजीनामा हो चुका है, जिसकी लिखित की फोटो प्रति फार्म संख्या 03 में पेश कर दी। इस लिखित राजीनामा पर किए गए हस्ताक्षर एवं बंटवारा लिखित पर किए गए हस्ताक्षरों का मिलान किया जा सकता है। लिखित राजीनामा में बंटवारा गलत होना स्वीकार किया है। इस बाबत एक एफआईआर भी दर्ज है।

अतः अपील स्वीकार की जावे।

6. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त कथनों/ तर्को का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 08.06.2018 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक 178 दिनांक 18.05.2018 की पालना में स्वीकृत किया गया है परन्तु आदेश क्रमांक 178 दिनाक 18.05.2018 को अपास्त करने हेतु कोई अपील नहीं की गई है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 18.05.2018 यथावत कायम है। जब तक उक्त आदेश दिनांक 18.05.2018 सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता है, तब तक नामांतरकरण सं. 1061 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2018 को खारिज नहीं किया जा सकता। शिविर में गिरधारी सिह स्वयं उपस्थित थे एवं उन्होने बंटवारा दस्तावेज पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है तथा अपनी स्वतंत्र सहमति दी है। गिरधारी सिंह जी पी.एच.ई.डी. विभाग में सरकारी नौकर थे तथा पढे लिखे व्यक्ति थे। बंटवारा के फोटोप्रति प्रत्यर्थीगण ने पेश कर दी है तथा संलग्न नक्शे पर गिरधारी सिंह जी के हस्ताक्षर है तथा बंटवारा अनुसार, राजस्व नक्शों में तरमीम कर दी गई है। श्री गिरधारी सिंह दिनांक 18.05.2018 को जीवित थे तथा उनकी मृत्यु दिनांक 31.05.2018 को हुई है तथा आक्षेपित नामांतरकरण दिनांक 18.05.2018 के आदेश की पालना में भरा गया है, जो विधि सम्मत है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है, उसे इसी बिंदु पर खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, यह अपील ग्राम गडा, तहसील शेरगढ के नामांतरकरण सं. 1061 पर तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध दिनांक 23.09.2019 को पेश की गई है। उक्त नामांतरकरण सं. 1061 न्याय आपके द्वार शिविर 2018 में तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित आराजी विभाजन आदेश कमांक 178 दिनांक 18.05.2018 की पालना में दर्ज नामांतरकरण पर पारित किया गया है। विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2018 में अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे, बल्कि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट्स के पिता/पति स्वर्गीय गिरधारी सिंह पक्षकार थे। अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 में, आदेश दिनांक 08.06.2018 की जानकारी सर्वप्रथम प्रथम/द्वितीय सप्ताह सितंबर 2019 में, रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने की धमकी देने पर होना अंकित किया है तथा दिनांक 15.09.2019 को पटवारी से नामांतरकरण सं. 1061 की नकल प्राप्त करना बताया है। प्रत्यर्थीगण ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है, जो यह साबित करे कि अपीलांट्स को दिनांक 08.06.2018 के आदेश की जानकारी दिनांक 15.09.2019 से पूर्व में थी। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को न्यायहित में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर, अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील प्रकरण को मेरिट पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

9. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र एक समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसमें पक्षकारों को परस्पर अधिकारों, हितों, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण नहीं दिया जा सकता। आक्षेपित नामांतरकरण, न्यायालय तहसीलदार, शेरगढ द्वारा राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के अंतर्गत पारित जोत विभाजन के आदेश क्रमांक 178 दिनांक 18.05.2018 की पालना में, राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 128 के अंतर्गत दर्ज करके निर्णित किया गया है।

अतः अपीलांट्स का यह कथन कि गिरधारी सिंह का दिनांक 31.05.2018 को देहांत हो गया था, अतः दिनांक 08.06.2018 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया आदेश विधि विरूद्ध है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि आक्षेपित नामांतरकरण से, आदेश दिनांक 18.05.2018 की पालना में रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है, जिसमें गिरधारी सिंह के बंट में आवंटित भूमि दर्ज की गई है तथा गिरधारी सिंह को आवंटित भूमि ही अपीलांट्स को जरिये उत्तराधिकार प्राप्त होगी। अगर अपीलांट्स तहसीलदार द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 18.05.2018 से असंतुष्ट थे, तो अपीलांट्स को जोत विभाजन के आदेश दिनांक 18.05.2018 को अपास्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, परंतु कथित जोत विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2018 का अपास्त हो जाने का कोई आदेश/निर्णय इस न्यायालय में पेश नहीं किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जोत विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2018 आज भी बरकरार है। अतः बरकरार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामांतरकरण सं. 1061 व उस पर पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 यथावत रखने योग्य है।

9A. अपीलांट्स ने विभाजन आदेश फर्जी होना बताया है तथा गिरधारी सिंह की कभी भी सहमति नहीं थी। इस प्रकार के विवादों का निपटारा नामांतरकरण की अपील में नहीं निपटाये जा सकते। सक्षम न्यायालय ही ऐसे दस्तावेजों को अपास्त करने में सक्षम है।

10. हमने जोत विभाजन आदेश क्रमांक 178 दिनांक 18.05.2018 में अंकित इन्द्राजों एवं नामांतरकरण सं. 1061 में दर्ज इन्द्राजों का मिलान किया, तो नामांतरकरण में किये गये इन्द्राज विभाजन आदेश के अनुरूप पाये गये। अपीलांट्स ने भी इस संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि का कोई आक्षेप अपील मीमों में नहीं उठाया है। अतः नामांतरकरण विभाजन आदेश दिनांक 18.05.2018 के अनुरूप होने के कारण यथावत रखने योग्य है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 08.06.2018 में किसी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि नहीं है तथा तहसीलदार, नामांतरकरण पर पारित आदेश को पारित करने में सक्षम है। अतः क्षेत्राधिकारिता से संबंधित भी किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं होने से, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं मानता है।

11. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 16.01.2026 को फॉर्म सं. 03 में दिनांक 19.09.2019 को पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता होने की लिखत की फोटोकॉपी पेश की है, जो इस न्यायालय में अपील पेश करने की तारीख 23.09.2019 के पूर्व की है। अगर राजीनामा हो गया था, तो यह अपील क्यों पेश की गई। नामांतरकरण की अपील में उक्त प्रकार की लिखत का कानून में कोई महत्व नहीं है तथा फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं होती है। इस तथाकथित राजीनामा के आधार पर, नामांतरकरण की अपील में कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अपील का प्रत्यर्थीगण ने प्रतिरोध किया है। उक्त प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग नियमित वाद में किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक, अभिलेखीय एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।

आदेश

13. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा ग्राम गडा के नामांतरकरण सं. 1061 पर पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2018 की पुष्टि करते हुए यथावत रखा जाता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।

15. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।

16. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी),
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।